न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– डिम्पल कुमार,आर.जे.एस
नम्बरी फौजदारी सी.आई.एस. नं. :– 485/2019

CNR Number : RJHG080010852019

राजस्थान राज्य
बनाम

1. विकास पुत्र धर्मपाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महेश कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 353, 332/34 भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति :–

1– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी– राज्य की ओर से।

2– विद्वान अधिवक्ता श्री छोटूराम सहू–अभियुक्तगण की ओर से

–: **निर्णय** :– **दिनांक:–05.08.2026**

1. यह प्रकरण थानाधिकारी पुलिस थाना गोंगामेड़ी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 32 दिनांक 19.04.2019 अंतर्गत एफआईआर 44 दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रारम्भ हुआ है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.03.2019 को होशियारसिंह चोकीदार जल संशाधन उपखंड नोहर ने थानाधिकारी गोगामेड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि दिनांक 12–03–2019 की शाम को लगभग 7:00 बजे तीन आदमी हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी लिए मोटरसाईकिल पर आए, जिनमें से एक महेश था, जिराको वह जानता है। तीनों आते ही हैड पर चढ़कर गेट डाउन करने लगे, उसने रोका व नीचे उतरने का कहा तो तीनों ने गालिया दी और उस पर कुल्हाड़ी व लाठियों से हमला कर दिया, उसके सिर में लाठी की चोट मारी जिससे वह नीचे गिर गया, उसके बाद उसके सिर में लाठी व कुल्हाड़ी से चोट मारने लगे व घसीटकर नहर में डालने लगे। उसने शौर मचाया तो रोला सुनकर चौकीदार नारायणसिंह भागकर आया, जिसे देखकर तीनों मोटरसाईकिल लेकर भाग गए। आज महेश उसके पास आया और माफी मागते हुए कहा कि गलती हो गई कोई कार्यवाही मत करना। साथ वालो के नाम नथुराम व विकास उर्फ सेठी बताया। आदि तथ्यों के प्रार्थना पत्र

न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर (हनुमानगढ़) 5/08/26

Scanned with OKEN Scanner

पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–44/2019 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 332, 353, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बाद बहस चार्ज अभियुक्तगण को धारा 353, 332/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझ कर आरोप से इनकार कर विचारण चाहा।

4. अभियोजन ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी0ड0–1 होशियारसिंह, पी0ड0–2 नारायणसिंह, पी0ड0–3 मुकेश, पी0ड0–4 अमरसिंह, पी0ड0–5 करनेलसिंह, पी0ड0–6 हरीसिंह, पी0ड0–7 डॉ0 राजबाला, पी0ड0–8 महेन्द्र कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी–1, एफआईआर प्रदर्शपी–2, नक्शा मौका प्रदर्शपी–3, हालात मौका प्रदर्शपी–3ए, पुलिस बयान मुकेश प्रदर्शपी–4, फर्द गिरफ्तार प्रदर्शपी–5 व 6, पुलिस बयान करनेल प्रदर्शपी–7, कार्यालय आदेश व प्रथम नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदर्शपी–8 व 9, चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी–10 को प्रदर्शित करवाया।

5. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट समस्त दोषाकारी परिस्थितयां अभियुक्तगण को लिखित में दी गई, समझाई गई व स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. दौराने बहस अभियोजन का तर्क रहा कि उसने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से संपूर्ण घटनाक्रम को संदेह से परे साबित किया है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। अभियुक्त विकास को परिवादी पहले से नहीं जानता था तथा परिवादी ने मुकेश के कहे अनुसार अन्य अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना बताया है। परिवादी से अनुसंधान के दौरान या न्यायालय में अन्य अभियुक्तगण की पहचान नहीं करवाई गई है। परिवादी ने दिनांक 12–03–2019 को अन्य काश्तकारों से मिलकर सिंचाई व्यवस्था में नाजायज

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

फायदा पहुंचाने के लिए अपनी मनमर्जी से नहर के एक साईड के गेट डाउन कर दिया था और उस बाबत् आगे के काश्तकारों ने विरोध किया तो अपने बचाव के लिए यह झूठा मुकद्मा दर्ज करवाया है। गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर प्रकृति का विरोधाभास रहा है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को अपनी साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

7. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय यह अवधार्य प्रश्न पाता है कि –

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12–03–2019 को वक्त करीब 7:00 पी.एम. पर वाके स्थान रामसरा हैड रौही पदमपुरा में चौकीदार होशियारसिंह जो लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, को भयोपरत कर आपराधिक बल का प्रयोग कर इसके कर्त्तव्य निष्पादन में बाधा कारित की तथा उसके साथ कुंदाला से मारपीट कर उसे स्वेचछया साधारण उपहति कारित की ?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण का दायित्व क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में **कुल 8** गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। गवाह **पी0ड0–1** होशियारसिंह चौकीदार जल संसाधन उपखण्ड द्वितीय खण्ड नोहर (परिवादी) ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 04.03.2019 को उसकी ड्यूटी जसाना नहर हैड रामसरा पर थी। दिनांक 4 से 12 मार्च 2019 तक पानी की वरीयता चल रही थी। दिनांक 12.03.2019 को वक्त 7:00 बजे वह रामसरा हैड के उपर था तो तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आए ओर आते ही हैड पर चढ़कर गेट को डाउन करने लगे उसनें उनको ललकारा और कहा की हैड से नीचे आ जाओ तो हैड से नीचे उतरते ही वो उसको गालियां निकालने लगे उनके पास लाठी, डंडे व कुल्हाडी थी। आते ही उसके साथ मारपीट करने लगे। उसके कमर में लाठी, डंडों से चोटे मारी, उसके सिर में भी मारी व उसको घसीटकर नहर में डाल रहे थे। उसने आवाज लगाई तो नारायणसिंह चौकीदार आवाज सुनकर भागते हुए आया। नारायणसिंह के आते ही वो उसको छोड़कर भाग गए। मोटरसाईकिल सवार तीनों व्यक्तियों में एक महेश कुमार था उसको वह जानता था। महेश कुमार ने ही उसे दो

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम नत्थूराम व विकास उर्फ विक्की बताया था। महेश कुमार दिनांक 13.03.2019 को उसके पास आया व उससे माफी मांगी व कहा की गलती हो गई। उसने घटना वाले दिन ही उसी समय मारपीट की सूचना अमरसिंह जेईएन व एईएन हरिसिंह को दे दी। उसने अपना मेडिकल मुआयना करवाया था। इस साक्षी ने प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी–1, एफआईआर प्रदर्शपी'2, नक्शा मौका प्रदर्शपी–3 को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा मे इस साक्षी ने कथन किया है कि वह मोटरसाईकिल नम्बर नही बता सकता। यह कहना गलत है कि प्रदर्शपी–3 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना गोगामेडी में करवाए हो। यह कहना गलत है कि आस पडौस के खेत पडौसियों के बताए अनुसार उसने अभियुक्त महेश व विकास का नाम लिखवा दिया हो। यह कहना गलत है कि वह महेश को पहले ना जानता हो। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने महेश के कहने से ही विकास व नत्थूराम का नाम प्रदर्शपी–1 में लिखवाया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 12.03.2019 को उसने आगे के काश्तकारों से मिलकर सिंचाई व्यवस्था में उनको नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए अपनी मनमर्जी से नहर के एक साईड के गेट डाउन कर दिया हो और उस बाबत् आगे के काश्तकारों ने इस चीज का विरोध किया हो इस बात को लेकर उसने अपने बचाव के लिए उक्त एफआईआर प्रदर्शपी–2 दर्ज करवाई हो। जब उसके साथ यह घटना हुई तब नारायणसिंह पीछे नहर को संभालने के लिए नहर पर गया हुआ था। यह कहना सही है कि वह विकास उर्फ सेठी से पहले कभी नही मिला। दिनांक 02.03.2019 को उसके आदेश रामसरा हैड पर ड्यूटी के लिए किये थे।

9. परिवादी **पी0ड0–2** नारायणसिंह चौकीदार, जिसे वर वक्त घटना मौका पर आना बताया है, ने साक्ष्य के दौरान कथन किया है कि दिनांक 12.03.2019 को शाम 7:00 बजे रामसरा व जसाना माईनर में 4 से 12.03.19 तक पानी चल रहा था। वह रामसरा माईनर पर गश्त करने के लिए गया था। होशियार सिंह चौकीदार हैड पर था। रामसरा हैड पर तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर आए व तीनों रामसरा माईनर का गेट बंद करने की कोशिश करने लगे तो होशियारसिंह ने मना किया तो तीनों ने होशियार सिंह के साथ थाप मुक्कों से मारपीट की। वह जब मौका पर आया और ललकारा तो तीनों भाग गए। उक्त में से एक का नाम विकास था जिसे

न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला हनुमानगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

वह पहले से जानता था। दो व्यक्तियों के नाम वह नहीं जानता। होशियार सिंह के कपड़े फाड़ दिए व होशियारसिंह के साथ मारपीट की जिससे उसके शरीर पर निलगू निशान/लिड़ी पड़ गए। होशियार सिंह ने उसे बताया था कि दूसरे दिन उसके पास विकास कुमार आया, जिसने हाथा–जोड़ी करके माफी मांगी थी और कहा था कि मुकदमा दर्ज मत करवाओ, राजीनामा कर लो। दो साथ वाले व्यक्तियों के नाम भी बताए थे जो आज उसे याद नहीं है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि डयूटी नहर पर 24 घण्टे रहती है। पुलिस ने उसके बयान घटना के दो दिन बाद लिए थे। यह कहना गलत है कि विकास के साथ उसकी पहले से कोई बोलचाल हो, इस रंजिश को लेकर यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने होशियारसिंह को पीटते हुए नहीं देखा, वह आया उस समय मुलजिमान भाग गए थे। इस तथ्य से इनकारी की है की मुलजिमान से रंजिश होने के कारण होशियारसिंह के पक्ष में गलत बयानी कर रहा हो।

10. गवाह **पी0ड0–3** मुकेश ने पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा इस साक्षी ने घटना के बारे में किसी प्रकार की जानकारी होने के तथ्य से ही इनकारी की है। गवाह **पी0ड0–4** अमरसिंह कनिष्ठ अभियंता सिंचाई विभाग नोहर ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 12.03.2019 को शाम करीब 8:00 बजे जसाना वितरिका पर बने रामसरा हैड पर अपनी डयूटी पर तैनात विभाग के होशियार चौकीदार ने जरिए टेलीफोन उसे बताया की अभी अभी तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर हैड पर आए थे और हैड के गेट डाउन करने लगे और जब उसने रोका तो उसके साथ लाठी व कुल्हाड़ी से मारपीट की। उसने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और रात को ही वह, सहायक अभियंता हरीसिंह बिजारणीया व विभाग से अन्य अधिकारी कर्मचारी मौका पर रामसरा हैड आए और देखा की होंशियार सिंह के शरीर पर चोटें लगी हुई थी। होशियार सिंह ने उसे बताया की मारपीट करने वालों में एक महेश था जिसे वह जानता है और दो आदमी उसके साथ और थे और बाद में उसे होशियारसिंह ने बताया की उसके पास महेश आया था उसने अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहा कि कोई कार्यवाही मत करना तो होशियार सिंह ने महेश से उसके साथियों के बारे में पूछा तो उसने अपने साथ

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

घटना के दिन पदमपुरा गांव के ही नत्थूराम व विकास का साथ होना बताया। इस प्रकार महेश, नत्थूराम व विकास ने हैड का गेट डाउन करने की कोशिश की व होशियार सिंह के साथ मारपीट की व राजकार्य में बाधा पहुंचाई। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने मारपीट होते नहीं देखी। इस तथ्य से इनकारी की है कि होशियारसिंह विभाग का कर्मचारी होने के कारण उसके कहने से आज वह गलत बयान कर रहा हो।.

11. गवाह **पी0ड0–5** करनेलसिंह ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि घटना की तारीख व समय आज उसे याद नहीं है। उसे नहीं पता की होशियार सिंह के साथ लाठी कुल्हाड़ी से किसने मारपीट की। उसने मारपीट होते नहीं देखी। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो उसके खाली कागज पर करवाए थे। फर्द गिरफ्तारी महेश कुमार प्रदर्श पी–6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं तथा अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का हिस्सा ए से बी लिखाये जाने के तथ्य से इनकारी की है। इस तथ्य से इनकारी की है कि होशियार सिंह के साथ महेश व विकास ने लाठी से मारपीट की हो। अज खुद कहा कि उसने कोई मारपीट नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि मुलजिम को बचाने के लिए मैं गलत बयानी कर रहा हो। गवाह **पी0ड0–6** हरीसिंह सहायक अभियंता ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 21.02.19 का नारायणसिंह व होशियारसिंह चौकीदार का कार्यालय आदेश व नियुक्ति आदेश प्रमाण पत्र पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा दिया गया था जो प्रदर्श पी–8 व 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है की प्रदर्श पी–8 पर डिस्पेच कमांक व दिनांक अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 में अधिशाषी को काटकर सहायक किया गया है। स्वतः कहा कि अधिशाषी अभियंता का चार्ज भी उस समय उसके पास ही था।

12. गवाह **पी0ड0–7** डॉ0 राजबाला ने दिनांक 13.03.2019 को पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब होशियारसिंह के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार करना अभिकथित करते हुए साक्ष्य दी है कि मजरूब के शरीर पर चोट

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर–1 खरोंच कमर के दांये भाग के उपरी हिस्से पर 4 सेमी. गुणा 1 एमएम, चोट नम्बर–2 खरोंच कमर के बांये भाग के नीचले हिस्से पर 2 सेमी. गुणा 2 एमएम, चोट नम्बर–3 खरोंच पेट के दांये तरफ उपरी हिस्से पर 3 सेमी. गुणा 4 एमएम, चोट नम्बर–4 सूजन दांये कान के उपरी हिस्से पर 4 गुणा 4 सेमी., चोट नम्बर–5 नीलगू निशान गाल के बांयी हिस्से के उपरी भाग पर 4 गुणा 3 सेमी. थी। सभी चोटें सामान्य प्रकृति की व चोट नम्बर 1 से 3 नुकिले हथियार से व चोट नम्बर 4 व 5 कुंदाला कारित थी। चोटों की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी--10 है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ऐसी चोटें किसी व्यक्ति के उंचाई से सख्त धरातल पर गिरने से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि चोटों की प्रकृति साधारण होने के कारण एक्स–रे की राय नहीं दी गई थी।

13. गवाह **पी0ड0–8** महेन्द्र कुमार (अनुसंधान अधिकारी) ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को परिवादी होशियारसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1 पेश किया, जिसके आधार पर एफआईआर प्रदर्शपी–2 दर्ज की गई। दौराने तप्तीश उसने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, हालात मौका प्रदर्श पी–3ए तैयार कर मजरूब का चोट प्रतिवदेन प्रदर्शपी–10, अधिशाषी अभियंता का डयूटी के कार्यालय आदेश प्रदर्श पी–8, प्रमाण पत्र प्रथम नियुक्ति प्रदर्श पी–9 शामिल पत्रावली किए। गवाहान के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए। अभियुक्त विकास कुमार को जरिये फर्द प्रदर्शपी–5, महेश कुमार को जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 गिरफ्तार किया। बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि नक्शा मौका बनाते समय आमद–रवानगी का रोजनामचा पत्रावली में नहीं है। इस तथ्य से इनकारी की है कि उसने राजनैतिक दबाव में आकर अनुसंधान कर मुलजिमानों के विरूद्ध गलत आरोप पत्र पेश किया हो।

14. अभियोजन कहानी के अनुसार होशियारसिंह चोकीदार (लोक सेवक) जब डयूटी पर था तो तीन आदमी हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी लिए मोटरसाईकिल पर आए, जिनमें से एक महेश था, जिसको परिवादी ने पहचान लिया था और उन्होंने परिवादी के साथ लोक कर्त्तव्य निर्वहन करने के दौरान

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

मारपीट की। परिवादी ने शौर मचाया तो रोला सुनकर चौकीदार नारायणसिंह भागकर आया, जिसे देखकर तीनों मोटरसाईकिल लेकर भाग गए। अभियुक्त महेश कुमार ने साथ वालो का नाम नत्थुराम व विकास उर्फ सेठी बताया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो पी0ड0–1 होशियारसिंह परिवादी/ आहत ने साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 04–03–2019 को उसकी ड्यूटी जसाना नहर हैड रामसरा पर थी। दिनांक 12.03.2019 को वक्त 7:00 बजे वह रामसरा हैड के उपर था तो तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आए ओर आते ही हैड पर चढ़कर गेट को डाउन करने लगे उसनें उनको ललकारा तो उसको गालियां निकालते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। उसने आवाज लगाई तो नारायणसिंह चौकीदार भागते हुए आया और नारायणसिंह के आते ही वो उसको छोड़कर भाग गए। तीनों व्यक्तियों में एक महेश कुमार था उसको वह जानता था। महेश कुमार ने ही उसे दो के नाम नत्थूराम व विकास उर्फ विक्की बताया था। परिवादी ने प्रार्थना पत्र, एफआईआर, नक्शा मौका को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य से इनकारी की है कि वह महेश को पहले ना जानता हो। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने महेश के कहने से ही विकास व नत्थूराम का नाम प्रदर्शपी–1 में लिखवाया था। उसके साथ घटना हुई तब नारायणसिंह पीछे नहर को संभालने के लिए नहर पर गया हुआ था। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह विकास उर्फ सेठी से पहले कभी नही मिला।

15. इस प्रकार परिवादी होशियारसिंह ने स्वयं को एवं नारायणसिंह चौकीदार को वर वक्त घटना राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत होना बताया है। परिवादी के इन कथनों के सम्बन्ध में देखा जावे तो पत्रावली पर विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश प्रदर्शपी–8 एवं प्रमाण पत्र प्रदर्शपी–9 उपलब्ध है, जिन्हें पी0ड0–6 हरीसिंह सहायक अभियंता एवं पी0ड0–8 महेन्द्र कुमार अनुसंधान अधिकारी द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करवाया गया है। कार्यालय आदेश प्रदर्शपी–8 के अनुसार दिनांक 04.03.2019 से 12.03.2019 तक रामसरा हैड पर परिवादी होशियारसिंह एवं साक्षी नारायणसिंह दिन–रात कार्यरत रहे है तथा प्रमाण पत्र प्रदर्शपी–9 के अनुसार परिवादी दिनांक 17.02.1986 को राजकीय सेवा में आया है। इस प्रकार परिवादी का वर वक्त घटना लोक

न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला हनुमानगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

सेवक के रूप में कार्यरत होना दस्तावेज प्रदर्शपी–8 व 9 से साबित होता है। परिवादी ने अपने साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर चोटे कारित करने का कथन किया है। जहां तक परिवादी के शरीर पर चोटे कारित होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में गवाह पी0ड0–7 डॉ0 राजबाला की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इसने साक्ष्य के दौरान दिनांक 13.03.2019 को होशियारसिंह के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी–10 तैयार करने व इसके चोट आने बाबत कथन किया है तथा चोटो की अवधि 24 घंटे के भीतर की होना बताया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी0ड0–4 अमरसिंह कनिष्ठ अभियंता सिंचाई विभाग नोहर ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 12.03.2019 को घटना बाबत उसने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और रात को ही वह, सहायक अभियंता हरीसिंह बिजारणीयां व विभाग से अन्य अधिकारी कर्मचारी मौका पर रामसरा हैड आए और देखा की होंशियार सिंह के शरीर पर चोटें लगी हुई थी। इस प्रकार चिकित्सीय, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी को बलें मिलता है तथा परिवादी के शरीर पर चोटे आने के तथ्य की पुष्टि होती है। गवाह पी0ड0–2 नारायणसिंह ने मारपीट होने के बाद मौके पर आने का कथन किया है, परन्तु इसने परिवादी के साथ मारपीट होने का कथन किया है। पी0ड0–8 महेन्द्रसिंह अनुसंधान अधिकारी ने भी अनुसंधान से परिवादी का लोक सेवक के रूप में कार्यरत होने एवं उसके लोक कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उसके साथ मारपीट होने के तथ्य को साबित माना है। इस प्रकार परिवादी होशियारसिंह का लोक सेवक होने, उसके द्वारा अपने कर्त्तव्य का निष्पादन करने व इसके शरीर पर चोटे आने के सम्बन्ध में परिवादी, अन्य अभियोजन गवाहान एवं चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

16. परिवादी ने अभियुक्त मुकेश एवं विकास द्वारा मारपीट करने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में देखा जावे तो परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य के दौरान अभियुक्त मुकेश को मौका पर पहचानने का कथन किया है, परन्तु अन्य अभियुक्त का नाम अभियुक्त मुकेश के बताये अनुसार बताया है। जहां तक अन्य अभियुक्त विकास का मौका पर उपस्थित होना एवं परिवादी के साथ मारपीट करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में देखा जावे तो परिवादी ने साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने विकास

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

का नाम मुकेश कुमार के कहे अनुसार बताया है वह विकास को पहले से नहीं जानता था। अनुसंधान के दौरान भी परिवादी से अभियुक्त विकास की पहचान नहीं करवाई गई है। य़द्यपि गवाह पी0ड0–2 नारायणसिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण में से एक का नाम विकास था, जिसको वह पहले से जानता था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने होशियारसिंह को पीटते हुए नहीं देखा, वह आया तब तक अभियुक्तगण भाग गए थे। उसे अभियुक्तगण दूर रास्ते पर जाते हुए दिखाई दिए थे। इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में होशियारसिंह ने बताया था। इस प्रकार पी0ड0–2 नारायणसिंह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता की उसने अभियुक्त विकास को परिवादी के साथ मारपीट करते हुए देखा हो। परिवादी अभियुक्त विकास का नाम अभियुक्त मुकेश के बताने के आधार पर ले रहा है और गवाह नारायणसिंह मौका का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, ऐसी दशा में मात्र अभियुक्त अभियुक्त मुकेश के बताने मात्र से विकास को घटना में संलिप्त होना नहीं माना जा सकता।

17. गवाह पी0ड0–8 महेन्द्र कुमार ने हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान किए जाने बाबत साक्ष्य देते हुए प्रार्थना पत्र, एफआईआर, नक्शा मौका, हालात मौका, फर्द गिरफ्तारी, परिवादी का नियुक्ति आदेश आदि अहम दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी का लोक सेवक होना एवं वर वक्त घटना अपना कर्त्तव्य निवर्हन करना साबित है। परिवादी के लोक सेवक होने के तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्शित कार्यालय आदेश एवं प्रमाण पत्र से होती है तथा अभियुक्त पक्ष द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि परिवादी वर वक्त घटना लोक सेवक के तौर पर कार्यरत नहीं था।

18. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि परिवादी ने दिनांक 12.03.2019 को अन्य काश्तकारों से मिलकर सिंचाई व्यवस्था में नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए अपनी मनमर्जी से नहर के एक साईड के गेट डाउन कर दिया था और उस बाबत् आगे के काश्तकारों ने विरोध किया तो अपने बचाव के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। इस तर्क के सम्बन्ध में देखा जावे तो अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या शिकायत की प्रति पेश नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

परिवादी ने अन्य काश्तकारों को फायदा देने के लिए एक साईड का गेट डाउन कर दिया हो, ऐसी दशा में उक्त तर्क संधारण योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास रहा है। इस सम्बन्ध में देखा जावे तो अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक प्रकृति का विरोधाभास नहीं रहा है, जिससे अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण कहानी दुषित हो। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क संधारण योग्य नहीं रह जाता है।

19. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त मुकेश कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 332, 353 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

–: आदेश :–

20. परिणामस्वरूप अभियुक्त **महेश** कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध तथा अभियुक्त **विकास** पुत्र धर्मपाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ को दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

05/08
(डिम्पल कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला हनुमानगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

21. निर्णय आज दिनांक 05.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

05/08/26
(डिम्पल कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला हनुमानगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

दंड के बिन्दू परः–

22. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है, अभियुक्त अधेड़ उम्र का लघु काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ प्रदान किया जावे, जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के द्वारा लोक सेवक के कर्त्तव्य निर्वेहन के दौरान परिवादी के साथ मारपीट कर लोक कार्य में बाधा कारित की गई है। अतः अभियुक्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला हनुमानगढ़

05/08/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

को कारावास के दंड से दण्डित किया जावे।

23. प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। जहां तक अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ प्रदान किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में देखा जावे तो अभियुक्त द्वारा लोक सेवक के साथ मारपीट कर लोक कर्त्तव्य निर्वहन में बाधा कारित की गई। अभियुक्त ने बहुत ही घीनौना कृत्य किया है तथा अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति का आरोप है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना खारिज की जाकर कारावास के दंड से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

–:दंडादेशः–

24. अतः अभियुक्त **महेश** कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ को धारा 332, 353 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है:–

1– **धारा 332** भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्धी पर 02 साल के साधारण कारावास, 2000/– रूपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड 01 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

2– **धारा 353** भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्धी पर 01 साल के साधारण कारावास, 2000/– रूपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड 01 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

25. अभियुक्त की उपरोक्त सभी सजाए साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि मूल सजा में से मुजरा की जावेगी। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जावे।

05/08/26
(डिम्पल कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

26. दंडादेश आज दिनांक 05.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला हनुमानगढ़

05/08/26
(डिम्पल कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner